न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 152/2018/(2018/00152) जिला–नागौर

1. भंवर सिंह पुत्र तेज सिंह जाति राजपूत
2. अर्जुन सिंह दत्तक पुत्र पीर सिंह जाति राजपूत
3. लाडकंवर बेवा तेज सिंह जाति राजपूत
4. मनोज कुमार पुत्र घासी राम जाति कुम्हार
5. रामूराम पुत्र बद्रीराम जाति कुम्हार
6. भूरा राम पुत्र बुधाराम जाति जाट

समस्त निवासीगण जालनियासर तहसील जायल जिला नागौर।

---अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।
2. कानाराम पुत्र सूजाराम जाति ढोली
3. किशनाराम पुत्र सूजाराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
   - 3/1 गोपाल राम पुत्र किशनाराम
   - 3/2 हेमराराम पुत्र किशनाराम
   - 3/3 अस्विनराम पुत्र किशनाराम
   - 3/4 लिछमादेवी बेवा किशनाराम

   समस्त जाति ढोली निवासी जालनियासर तहसील जायल जिला नागौर।
4. नारायणी देवी पत्नी घासीराम जाति कुम्हार
5. कैलाश कुमार पुत्र घासीराम जाति कुम्हार
6. मंजू पुत्री घासीराम जाति कुम्हार
7. सूरजाराम पुत्र बद्रीराम जाति कुम्हार
8. बालू सिंह पुत्र पहाड़ सिंह जाति राजपूत
9. अर्जुन सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति राजपूत
10. लक्ष्मण सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत
11. पूसाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट
12. राम निवास पुत्र रूपाराम जाति जाट
13. जसाराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल
14. आशाराम पुत्र उमाराम जाति जाट
15. गुमानाराम पुत्र उमाराम जाति जाट
16. जेठाराम पुत्र उमाराम जाति जाट
17. भंवरी देवी पत्नी भंवरराम जाति जाट

समस्त निवासीगण जालनियासर तहसील जायल जिला नागौर।

---प्रत्यर्थीगण

Scanned with CamScanner

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, जायल दिनांक 06–06–2018
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 12/2017
बउनवान सरकार बनाम श्री भंवर सिंह

उपस्थित–
1. श्री एस.पी.सिंह अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री सुनील पारीक अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 17
3. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 07/12/2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 तहसीलदार जायल ने उपखण्ड अधिकारी, जायल के समक्ष अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 17 के विरूद्ध धारा 131, 132 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कदीमी रास्ता मौजा जालनियासर के खेत खसरा नम्बर 138/314, 138, 675/140, 140, 141/317, 147/316, 435/347, 156, 157, 158, 168, 170, 172, 437/147, 559/168 एवं खसरा नम्बर 165/01 में से होकर निकल रहा है जिसको रास्ता घोषित किया जाकर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। उपखण्ड अधिकारी, जायल ने केम्प कोर्ट सांडिला में न्याय आपके द्वार 2018 में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–6–2018 द्वारा अपील स्वीकार कर रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा धारा धारा 131, 132 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कदीमी रास्ता मौजा जालनियासर के खेत खसरा नम्बर 138/314, 138, 675/140, 140, 141/317, 147/316, 435/347, 156, 157, 158, 168, 170, 172, 437/147, 559/168 एवं खसरा नम्बर 165/01 में से होकर प्रचलित कदीमी रास्ता है जो कि ऋतुओ व मौसम के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है व बारहमासी चालू रहता है इस कारण उसका रास्ता घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे जबकि मौके पर कोई कदीमी रास्ता मौजूद नहीं है इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअन्दाज कर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

Scanned with CamScanner

उन्होंने यह तर्क दिया कि अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजियात खेत खसरा नम्बर 138/314, 138, 437/147, 317, 147/316 एवं 172 में से होकर कभी भी मौके पर प्रचलित अथवा कदीमी रास्ता मौजूद नहीं रहा है इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को नजरअन्दाज कर गैर कानूनी आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य मौके के विपरीत दर्ज किये है क्योंकि उनके द्वारा उल्लेखित रास्ता जो कदीमी एवं प्रचलित रास्ता है और ना ही दो गांवो को जोड़ने वाला रास्ता है। प्रस्तावित रास्ता दो आम सड़को जालनियासर से गडरिया जो अभी पक्की डामर की बन रही है तथा दूसरी सड़क बगरासर से कमेडिया जाने वाली मूडियारोड जो आगे चलकर दोनों सड़के मिल रही है उनके बीच में से कुछ खेतो के खातेदारो को कम दूरी का रास्ता उपलब्ध कराने के लिए मिलीभगत करके प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस कारण अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण को अपनी खातेदारी खेतो में आने जाने के लिए जालनियासर से गडरिया एवं कमेडिया से बगरासर जाने वाली सड़क से आवागमन हेतु रास्ता आज भी मौके पर चालू है एवं कदीमी तौर पर इसका ही उपयोग व उपभोग आपत्तिकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है इस प्रकार वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का दौराने बहस यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता बाबत उपखण्ड अधिकारी जायल एवं माननीय सिविल न्यायालय जायल के समक्ष उनवानी प्रकरण लक्ष्मण सिंह बनाम भंवर सिंह विचाराधीन है इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य था। धारा 136 एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण को पक्षकारान की सहमति/रजामंदी अथवा लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है परन्तु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा कोई सहमति/रजामंदी नहीं दी गई है तथा राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाना लिपिकीय त्रुटि भी नहीं है इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन संधारण योग्य ही नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा न्याय आपके द्वारा केम्प 2018 में अपीलार्थीगण की सुनवाई किये बिना प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया जबकि न्याय आपके द्वार केम्प में कोई भी प्रकरण जिसमें पक्षकारान की आपसी सहमति या रजामंदी के आधार पर ही निर्णित किये जा सकते है। इस प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा

Scanned with CamScanner

कोई सहमति प्रदान नहीं की गई है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–6–2018 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थीगण के अभिभाषक 2 से 17 ने कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 2 से 17 की खातेदारी की भूमि है जिसमें से उक्त विवादित रास्ता निकाले जाने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार जायल द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जायल के समक्ष प्रस्तुत किये है जबकि उन्हें पूर्ववर्ती रास्ते को खुलवाने संबंधी अधिकार प्रदत्त है। इन्हें नये सिरे से रास्ता निकालने बाबत आदेश देने का क्षैत्राधिकार नहीं होना तथा सुखाचार बाबत तहसीलदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत रूके हुए रास्ते को खुलवाने संबंधी क्षैत्राधिकार है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा बिना मौका स्थिति की जांच किये प्रस्ताव तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर धारा 136 के तहत रास्ते बाबत आदेश पारित करवाया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 17 के विद्वान अभिभषक की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित रास्ते हेतु नजरी नक्शा के प्रस्ताव रास्ता घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। रास्ता मौके पर बारहमासी चल रहा है। ऋतुओं में भी इन रास्तों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा कदीमी रास्ता चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–6–2018 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजियात खेत खसरा नम्बर 138/314, 138, 675/140, 140, 141/317, 147/316, 435/347, 156, 157, 158, 168, 170, 172, 437/147, 559/168 एवं खसरा नम्बर 165/01 अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 17 की खातेदारी की आराजियात है। सिवायचक भूमि में से ही रास्ता कायम किया जा सकता है। किसी खातेदार की खातेदारी की भूमि में से बिना उसकी सहमति /रजामंदी के रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण को पक्षकारान की सहमति से लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा कोई सहमति/रजामंदी नहीं दी गई है तथा राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाना लिपिकीय त्रुटि भी नहीं है। तहसीलदार को पूर्ववर्ती रास्ते को खुलवाने संबंधी अधिकार प्रदत्त है, उन्हें नये सिरे से रास्ता निकालने का क्षैत्राधिकार नहीं है तथा सुखाचार बाबत तहसीलदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत रूके हुए रास्ते को खुलवाने संबंधी क्षैत्राधिकार है। प्रकरण में

Scanned with CamScanner

तहसीलदार द्वारा बिना मौका स्थिति की जांच किये प्रस्ताव तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल के समक्ष प्रस्तुत कर धारा 136 के तहत रास्ते बाबत आदेश पारित करवाया है जो कतई विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विवादग्रस्त आराजियात के समस्त खातेदारों को समुचित एवं पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करना चाहिए था। उन्होंने केवल तहसीलदार, जायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–6–2018 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) जायल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–06–2018 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 12/2017 बउनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जायल बनाम भंवर सिंह विधिसम्मत नही होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण एवं अन्य समस्त पड़ौसी खातेदारान को समुचित व पूर्ण सुनवाई तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

Scanned with CamScanner